न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 81/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/95

1. मघर सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जट सिख साकिन चक 10 के.एस.डी तहसील रायसिंहगनर।
2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र मघर सिंह जाति जट सिख साकिन मोहकमवाला तहसील रायसिंहनगर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार।

—रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 22.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 25.05.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है –

1– तहसील रायसिंहनगर के चक 10 के एस डी का मुरब्बा नंबर 266/373 व मुरब्बा नंबर 267/373 की कुल 50 बीघा भूमि खेताराम पुत्र गिरधारी राम को आवंटित हुई। खातेदार खेताराम या उसके वारिसों द्वारा उक्त भूमि का विक्रय मघरसिंह, तेजसिंह, गुरदेवसिंह एवं हरबंससिंह पिसरान केहरसिंह को कर दिया। उक्त वादगत भूमि के संबंध में नक्षत्रसिंह पुत्र भोलासिंह ने उप–जिलाधीश रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.09.1987 को प्रस्तुत कर बताया कि उक्त वादगत भूमि का बेचान उपनिवेशन अधिनियम की धाराओं के विपरीत किया गया है, जिसकी विक्रय की कोई स्वीकृति नही ली गई है। खरीददार रकबे को ठेके पर देकर वापिस पंजाब चला जाता है। ठेके पर जमीन लेने वाला व्यक्ति पानी अपनी जमीन में लगाता है, जिससे रेत उड़कर आस पड़ोस की जमीन में फसले नहीं होने देती है, इस प्रकार उक्त वादगत भूमि जो खारिज हो चुकी थी, गलत हल्फनामें देकर बहाल कर दिया गया था, की पुनः जॉच कर आवंटन खारिज किये जाने का निवेदन किया था। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर की उक्त शिकायत पत्रावली की सुनवाई का क्षेत्राधिकार परिवर्तन हो जाने के कारण पत्रावली दिनांक 30.06.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1997 को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित किया। जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर कार्यालय में कार्य विभाजन होने के कारण उक्त पत्रावली अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पेशी में ली गई। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण में निर्णय करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा किये गये शिकायत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अलॉटी खेताराम की 25 बीघा भूमि आवंटन विधिमान्य नही होने से मु.न. 267/373 की 25 बीघा भूमि का आवंटन रिज्यूम कर दिया। अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 25.05.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि चक 9 के.एस.डी हाल चक 10 के.एस.डी का मुरब्बा नंबर 266/373 व मुरबा नंबर 267/373 की कुल 50 बीघा भूमि खेताराम को बतौर भाखरा भूमिहीन 50 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटत हुई थी। भाखरा भूमिहीन में परिवार के आधार पर 50 बीघा भूमि आवंटन का प्रावधान था। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का निर्णय पेश है, जिसके अनुसार सूची में खेताराम का नाम भी अंकित है। यह आदेश दिया था कि इन भाखरा भूमिहीनों को बैध रूप से आवंटन हुआ है इसे यथावत रखा जावें। उक्त वादगत भूमि के पड़ौस में नक्षत्र सिंह नाम का व्यक्ति रहता था, उसने दिनांक 05.07.1977 को एक प्रार्थना–पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया था कि भूमि को खुद काश्त नही करता है तथा नौकर मिट्टी उड़ाते है, जो मेरे खेत मे आती है तथा सिंचाई का पानी भी अन्य लगाते है, इस कारण आंवटन खारिज किया जावें। आंवटन सैक्शन 11/14 कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत निरस्त कर दिया गया था इसके बाद अपील पेश हुई, अपील में पुनः रिमाण्ड के आधार पर आवंटन बहाल कर दिया गया था। सन 1987 में पुनः नक्षत्र सिंह ने वही प्रार्थना–पत्र पेश किया तथा वही मांग के आधार भी वही थे कि आवंटन खारिज किया जावें। कानून यह कहता है कि अगर एक दफा अदालत निर्णय पारित कर देती है तो उसी मुद्दे पर उसी अदालत के समक्ष पुनः सुनवाई नही हो सकती। सैक्शन 11 सी.पी.सी चस्पा होता है तथा अदालत अपने पूर्व निर्णय से स्टोप्ड होती है। उक्त वादगत भूमि की खातेदारी हो चुकी थी। खेताराम खातेदार का देहान्त 1981 में हो चुका है यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश हो चुका था तथा अपीलांट ने भी मृत्यु का प्रमाण–पत्र पेश कर दिया है। उक्त वादगत भूमि खातेदार से अपीलांट मघर सिंह वगैरह ने दिनांक 06.06.1997 को जरिये रजिस्ट्री खरीद कर ली थी। अपीलांट इस भूमि के जमाबंदी में खातेदार दर्ज हो चुके थे, जमाबन्दी पेश है इंतकाल दर्ज हो चुका था। उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय ने सैक्शन 11/14 कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने फर्द अहकाम के अनुसार पूर्व पत्रावली, जिसमें पूर्व में निर्णय हो चुके थे, तलबी के आदेश दिये थे मगर 35 वर्षों तक अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली चलती रही। तारीखें पड़ती रही मगर पत्रावली तलब ही नही हुई। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने 35 वर्ष बाद बिना आधार, बिना प्रावधान के उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया। शिकायतकर्ता नक्षत्र सिंह मर चुका था, प्रमाण संलग्न है तथा अलौटी खातेदार खेताराम भी सन 1981 में मर चुका था। दोनों

माननीय आयुक्त
बीकानेर

के प्रमाण पेश हो चुके है फिर भी मृतक के विरूद्ध कार्यवाही करके अवैध आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने मृत्तक के खिलाफ व मृत्तक के पक्ष में पारित किया है जो शून्य है। उक्त भूमि की खातेदारी हो चुकी थी इस कारण टिनेन्सी एक्ट लागू हो चुका था। रूल्स के तहत खातेदारी भूमि खारिज नही की जा सकती। शिकायतकर्ता नक्षत्र सिंह का देहान्त 1989 में चुका था प्रमाण पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम तो खातेदारी भूमि निरस्त की है, दूसरी मूल आवंटन पत्रावली तलब ही नही की तो कैसे पता चला कि बतौर भाखरा भूमिहीन आवंटन गलत हुआ था मात्र कयास के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया गया था कि भाखरा भूमिहीन का आवंटन निरस्त नही किया जावें। खरीददार खातेदार की भूमि गलत खारिज की गई है, खातेदार को सुना नही गया, भाखरा भूमिहीन अलौटी सन् 1981 में मर चुका था तथा शिकायतकर्ता सन 1989 में मर चुका था, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने मृत्तकों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, खातेदारों के विरूद्ध प्रकरण नही चल सकता था क्योंकि टिनेन्सी एक्ट लागू होता है। बिना मूल आवंटन पत्रावली तलब किए भूमि आंवटन खारिज कर दी। उक्त प्रकरण इस प्रावधान में जैरकार ही नही था, शून्य आदेश पारित किया गया है। अलौटी मर चुका था, वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया नही गया, ना ही शिकायतकर्ता के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने शून्य व अवैध आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.05.2022 को निरस्त किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टातों कां हवाला दिया हैं:—

- आर.आर.डी. 1994 पेज सं. 683
- सीपीसी धारा 11
- आर.आर.डी. 2006 पेज सं. 91 H.C.
- आर.आर.डी. 2002 पेज सं. 714
- आर.आर.डी. 2003 पेज सं. 239
- आर.आर.डी. 1986 पेज सं. 136
- आर.आर.डी. 1998 पेज सं. 547
- आर.आर.डी. 1991 पेज सं. 260
- आर.आर.डी. 1992 पेज सं. 634
- आर.आर.डी. 1995 पेज सं. 406
- आर.आर.डी. 2018 पेज सं. 479 H.C.

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि खेताराम पुत्र गिरधारी राम ने भाखड़ा भूमिहीन की 50 बीघा भूमि आवंटित करवाई है जबकि खेताराम राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 16(2) के प्रावधानों के अनुसार 31 दिसम्बर के बाद कल्टीवेट होने के कारण 25 बीधा भूमि आवंटन का पात्र था। इसलिए शेष 25 बीघा भूमि का आवंटन उक्त प्रावधानों के अनुसार विधिमान्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 25.05.2022 नियमानुसार सही हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख व न्यायिक दृष्टांत का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2022 पारित करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा किये गये शिकायत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया तथा आवंटी खेताराम की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

25 बीघा भूमि को विधिमान्य आवंटन नहीं होने से मु.नं. 267/373 की 25 बीघा भूमि बहक सरकार रिज्यूम किये जाने के आदेश दे दिये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त वादगत भूमि खातेदार से अपीलांट मघर सिंह वगैरह ने दिनांक 06.06.1997 को जरिये रजिस्ट्री खरीद की थी। अपीलांट इस भूमि के जमाबंदी में खातेदार दर्ज हो चुके थे तथा इंतकाल दर्ज हो चुका था। शिकायतकर्ता नक्षत्र सिंह मर चुका था तथा आवंटी खातेदार खेताराम भी सन 1981 में मर चुका था। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश मृत्तक के खिलाफ व मृत्तक के पक्ष में पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त परिपेक्ष्य अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2022 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर